जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (सी.पी.सी.) की बैठक सं. 13/2000 दिनांक 21-1-2000 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सायं 4.00 बजे सम्पन्न हुई; का कार्यवाही विवरण :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री के. पी. सिंघल, सचिव.
2. श्री ए. के. गुप्ता, निदेशक - नगर आयोजना.
3. श्री पी. आर. शर्मा, निदेशक - वित्त
4. श्री ए. एन भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक - सी.पी.

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक - एम.पी.
2. श्री नवल किशोर शर्मा, अति. आयुक्त - भूमि एवं योजनायें.
3. श्री प्रेम शंकर, उप नगर नियोजक - सी.पी.
4. श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त जोन- बी-2.
5. श्री ओ. पी. खड़गावत, उपायुक्त, जोन बी-3.
6. श्री वासुदेव शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-1
7. श्री हरि प्रसाद शर्मा, सहा. नगर नियोजक, जोन-बी-3.
8. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, —"——"——"— सी.पी.

(1.) बी. पी. सी. II (सी. पी. सी.) की बैठक सं. 12/2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गई।

(2) विभिन्न उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1 - महाराज गोपालपुरा गृ. नि. स. स. की योजना सं. 8

में अनुमोदित प्लाटेड एरिया को 62.84% से बढ़ाकर 67.26% किया जाये, स्वीकार योग्य नहीं है। परन्तु जाँच के दौरान यह पाया गया है कि वर्तमान में अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय तथा योजना का कुल क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :-

अनुमोदित योजना का कुल अंकित क्षेत्रफल	अनुमोदित योजना का अंकित आवासीय क्षेत्रफल	अनुमोदित योजना का वास्तविक आवासीय क्षेत्रफल
73841.83 व.ग.	46404.20 व.ग.	46836.00 व.ग. (63.4%)

इस विसंगति को देखते हुए और भूखण्डों के क्षेत्रफल के प्रतिशत को यथावत रखते हुए ; भूखण्डों का क्षेत्रफल निम्न प्रकार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया :-

योजना का कुल क्षेत्रफल (रजिस्ट्री के-अनुसार)	प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रफल	प्रस्तावित सुविधा/सड़क का क्षेत्रफल
78500 व.ग.	49786.00 व.ग. (63.4%)	28714 व.ग. (36.6%)

इस निर्णय के परिपेक्ष में पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भू० सं० 73 से 79 (कुल-सात) कुल क्षेत्रफल 2950 व.ग. को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ; तथा इन भूखण्डों व सुविधा क्षेत्र के बीच में 30' की सड़क भी अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

2.2 म्युचुअल गृ० नि० स० स० की योजना "तारा नगर" ए"- जोन-बी-3 के संबंध में :-

कुल 25 भूखण्ड अस्वीकृत किये गये थे। समिति द्वारा सरकारी भूमि में आ रहे निम्न 25 भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया; क्योंकि ये पूर्व में खरीद शुदा जमीन में नहीं थे; परन्तु अब राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार योजना की नियमन दर में सरकारी भूमि की राशी समाहित कर ली गई है।

भूखण्डों का विवरण:

A-223 से A-231
A-214 से A-215
A-232 से A-236 } कुल 25 भूखण्ड.
A-257 से A-264
A-204

बैठक अध्यक्ष म. को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

(हस्ताक्षर)
सदस्य सचिव
बी पी सी II - सी पी सी

क्रमांक : ज वि प्रा / बन नि - सी जी / 2000 / डी -   दि : 22-1-2000

प्रतिलिपि :
1) वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, ज विप्रा.
2) निजी सचिव, सचिव, ज विप्रा
3) निदेशक - आयोजना / वित्त / विधी / अभियांत्रिकी.
4) अति० आयुक्त - भूमि एवं योजनायें.
5) वरिष्ठ नगर नियोजक - मास्टर प्लान.
6) उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी / A.T.P. जोन B-2, B-3.
7) जन सम्पर्क अधिकारी